

न्यायालय : पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. : 303 / 2014)

(संस्थित दिनांक : 25 / 04 / 2014)

म.प्र.राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद
जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन ।

/// विरुद्ध ///

01. सुल्तान सिंह जाटव पुत्र हुकुम सिंह जाटव उम्र 72 वर्ष,
 02. पुलन्दर सिंह जाटव पुत्र सुल्तान सिंह जाटव उम्र 42 वर्ष
 03. फरसी उर्फ राजेन्द्र पुत्र सुल्तान सिंह जाटव उम्र 37 वर्ष
- निवासीगण :- ग्राम पाली, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण ।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 02 / 02 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण सुल्तान, पुलन्दर एवं फरसी उर्फ राजेन्द्र पर धारा : 294, 447 एवं 379 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक : 14-15 मार्च 2014 की दरम्यानी रात्रि फरियादी विशम्भर राठौर के खेत में, जो कि लोक स्थान के पास समीप एक स्थान है, पर उसके बंटाईदार भूरे खान को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, अपराध करने के आशय से फरियादी विशम्भर के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में फरियादी के खेत में खड़ी सरसों की फसल को चोरी करने के आशय से फरियादी विशम्भर के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए उसके खेत से काटकर चोरी की।

02. प्रकरण में फरियादी विशम्भर एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा सांक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 14-15 मार्च 2014 की दरम्यानी रात्रि फरियादी विशम्भर राठौर के खेत में, फरियादी विशम्भर के बंटाईदार भूरे खान को माँ-बहन की अश्लील गालिया देने, उसके खेत में से खड़ी सरसों की फसल काटकर चोरी करने की लिखित रिपोर्ट फरियादी विशम्भर द्वारा दिनांक : 16 / 03 / 2014 को थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82 / 2014 अन्तर्गत धारा 294, 447 एवं 379 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी सुल्तान सिंह को दिनांक 26 / 03 / 2014 को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी सुल्तान का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन दिनांक : 26/03/2014 को अंकित किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उसने दिनांक : 15/03/2014 को अपने पुत्र पुलन्दर एवं फस्सी के साथ मिलकर विशम्भर राठौर के खेत की सरसों की फसल चोरी से काट ली थी, जो उसने अपने खलियान में छुपाकर ढेर लगाकर रख दी है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी सुल्तान का खलियान स्थित पाली से दिनांक : 26/03/2014 को सरसों की फसल कीमत लगभग 6,000/- रुपये की जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी सुल्तान के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में आरोपी पुलन्दर एवं फस्सी के नाम का उल्लेख होने से उक्त आरोपीगण को दिनांक : 27/03/2014 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। विवेचना के दौरान फरियादी विशम्भर राठौर, साक्षी भूरे खाँ एवं हसन खाँ के कथन लेखबद्ध किये गये और विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण सुल्तान, पुलन्दर एवं फस्सी उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 447 एवं 379 भा.द.सं. के अन्तर्गत के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी विशम्भर के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 447 एवं 379 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण सुल्तान, पुलन्दर एवं फस्सी उर्फ राजेन्द्र ने दिनांक : 14-15 मार्च 2014 की दरम्यानी रात्रि फरियादी विशम्भर राठौर के खेत में, जो कि लोक स्थान के पास समीप एक स्थान है, पर उसके बंटाईदार भूरे खाँ को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. अभियोजन साक्षी भूरे खाँ अ.सा.02, हसन खाँ अ.सा.03 एवं फरियादी विशम्भर अ.सा.01 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी पर आरोपीगण द्वारा दिनांक : 14-15 मार्च 2014 की दरम्यानी रात्रि फरियादी विशम्भर राठौर के खेत पर भूरे खाँ को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

07. आरोपीगण एवं फरियादी विशम्भर के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी विशम्भर अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण सुल्तान, पुलन्दर एवं फरसी उर्फ राजेन्द्र ने दिनांक : 14-15 मार्च 2014 की दरम्यानी रात्रि फरियादी विशम्भर राठौर के खेत में, जो कि लोक स्थान के पास समीप एक स्थान है, पर उसके बंटाईदार भूरे खान को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

09. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण सुल्तान, पुलन्दर एवं फरसी उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध धारा : 294 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

11. प्रकरण में जल्दशुदा सरसों पूर्व से ही फरियादी/आवेदक विशम्भर एवं सुरेश के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद